

सेवा में

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक
उत्तराखण्ड राज्य।

विषय-

Ease of Doing Business के अन्तर्गत अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की सेवाओं के सरलीकरण में उद्यमियों हेतु अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र शत प्रतिशत Online निर्गत किये जाने एवं विगत 02 वर्षों का डाटा Online उपलब्ध कराये जाने विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक दिनांक 31.05.2017 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विभाग की सेवाओं के सरलीकरण में उद्यमियों हेतु विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र शत प्रतिशत Online निर्गत किये जायें तथा विगत 02 वर्षों का डाटा विभागीय पोर्टल पर Online उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अपने अधीनस्थ मुख्य/अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि सभी मुख्य/अग्निशमन अधिकारी **Ease of Doing Business** के अन्तर्गत अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की सेवाओं के सरलीकरण में उद्यमियों हेतु अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र शत प्रतिशत Online निर्गत करेंगे जिसके सम्बन्ध में पूर्व में हुई गोष्ठियों एवं पत्राचार के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी लौटती डाक से उपलब्ध करायेगे कि अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सभी आवेदन एवं उनका निस्तारण सिंगल विण्डों सिस्टम एवं विभागीय पोर्टल के माध्यम से Online निर्गत किये जा रहे हैं तथा किसी भी अधिकारी के द्वारा ऑफ लाइन निर्गत नहीं किये जा रहे हैं।

यदि किसी भी अधिकारी द्वारा अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन/निस्तारण ऑफ लाइन किया जाना संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाते हुए शासन को अवगत करा दिया जायेगा।

h 3/6
(जी0एस0 मर्तोलिया)
पुलिस महानिरीक्षक,
अग्निशमन एवं आपात सेवा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रतिलिपि -

मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर/नैनीताल/अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ भी कि अपने कार्यक्षेत्रान्तर्गत सभी जनपदों की विगत 02 वर्षों में जो भी ऑफ लाइन अनापत्ति प्रमाण निर्गत की गयी हैं को स्कैन(पीडीफ) कर पेन ड्राइव/सीडी में 10 दिवस के अन्दर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि विगत 02 वर्षों का डाटा विभागीय पोर्टल पर Online उपलब्ध कराया जा सके।